हिरासत में क्रूरता का अंत: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की तात्कालिक आवश्यकता"

GS Paper-2 के लिए प्रासंगिकता

समाचार में क्यों?

- तामिलनाडु के सिवगंगा जिले के 27 वर्षीय मंदिर रक्षक अजित कुमार की हालिया कस्टोडियल मौत ने एक बार फिर कस्टोडियल हिंसा के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया है। यह घटना तामिलनाडु में हुई कस्टोडियल मौतों की श्रृंखला के बाद आई है, जो पुलिस बर्बरता और आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता को दर्शाती है, जो बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रही है।

तामिलनाडु में हालिया कस्टोडियल मौतें: एक गहरी वास्तविकता (2021–2025)

- कस्टोडियल मौतें पुलिस की जिम्मेदारी और मानवाधिकार सुरक्षा में गंभीर चूकों को उजागर करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामले इस प्रकार हैं:

1. 2022: विग्नेश केस (चेन्नई)

- विग्नेश, एक 25 वर्षीय व्यक्ति, पुलिस हिरासत में मर गया। शव परीक्षण से कस्टोडियल यातना के संकेत मिले, जिसमें कई चोटों का खुलासा हुआ।

2. 2023: ऑटो रिक्शा चालक की मौत (तिरुची)

- एक ऑटो रिक्शा चालक पुलिस हिरासत में संदेहास्पद परिस्थितियों में मरा। मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, और जांच जारी है।

3. 2024: राजा केस (विल्लुपुरम)

- राजा, एक दलित व्यक्ति, जिसे छोटे चोरियों का आरोपी बनाया गया था, पुलिस हिरासत में मर गया। उसका परिवार अभी भी न्याय और मुआवजे का इंतजार कर रहा है।

4. 2025: अजित कुमार केस (चेन्नई)

- अजित कुमार के शव परीक्षण में 44 घाव, सिगरेट से जलने के निशान और जबरन ड्रग्स दिए जाने के संकेत मिले। उनके आखिरी शब्द, "मैंने चोरी नहीं की," उस क्रूरता को दर्शाते हैं जो उन्होंने झेली।
- ये घटनाएँ एक चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं, जो पुलिस जिम्मेदारी सुनिश्चित करने और मानवाधिकारों की रक्षा में प्रणालीगत विफलताओं को इंगीत करती हैं।

कस्टोडियल हिंसा के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय

1. संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 20 : आत्म-अपमान, पूर्व-निर्धारित दंड और पुनः दंड से सुरक्षा।
- अनुच्छेद 21 : जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें यातना से सुरक्षा शामिल है।
- अनुच्छेद 22 : मनमानी गिरफ्तारी और निवारक निरोध से सुरक्षा।

2. कानूनी सुरक्षा उपाय:

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), 1973

- धारा 41, 46, 49: कानूनी गिरफ्तारी और बल प्रयोग को नियंत्रित करना।
- धारा 54: गिरफ्तारी के बाद चिकित्सा परीक्षण का अधिकार।
- धारा 176: कस्टोडियल मौतों के मामलों में न्यायिक जांच अनिवार्य।

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860

- धारा 330, 331: यातना को दंडनीय बनाना।
- धारा 302, 304: कस्टोडियल मौतों के मामलों में लागू।

सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश (डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997)

- न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें चिकित्सा जांच, गिरफ्तारी ज्ञापन और परिवार के सदस्यों को सूचित करने की आवश्यकता शामिल है
- इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, लगातार हो रही कस्टोडियल हिंसा कमजोर कार्यान्वयन और प्रभावी जवाबदेही की कमी को दिखाती है।

कस्टोडियल हिंसा का समाधान करने में चुनौतियां:

1. पुलिसिंग में बल का सामान्यीकरण:

- गिरफ्तारी में अत्यधिक बल सामान्य हो गया है। पुलिस का ध्यान अक्सर नियंत्रण पर होता है, जबकि मानवाधिकार और कल्याण की अनदेखी होती है।

2. जवाबदेही तंत्र की कमजोरी:

- विभागीय कार्रवाई अक्सर विलंबित या प्रतीकात्मक होती है, जैसे अस्थायी निलंबन या स्थानांतरण।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप:

- राजनीतिक प्रभाव अक्सर अधिकारियों की रक्षा करता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया कमजोर होती है।

4. स्वतंत्र जांच की कमी:

- पुलिस द्वारा अपने सहयोगियों की जांच करने से हितों का टकराव होता है।

5. हिंसा की सांस्कृतिक स्वीकृति:

- यह धारणा बन गई है कि ज़बरदस्ती स्वीकार्य है, ताकि अभियुक्तों से बयान निकाले जा सकें।

6. न्यायिक विलंब:

- लंबे कानूनी प्रक्रिया victims के परिवारों को न्याय की ओर बढ़ने से हतोत्साहित करती है।

7. पुलिस अधिकारियों की मानसिक उपेक्षा:

- पुलिस अधिकारी अक्सर उच्च तनाव वाले हालातों में काम करते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की कमी होती है, जिससे आक्रामकता उत्पन्न होती है।

8. पुराना पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

- पुलिस प्रशिक्षण पुराना हो गया है और यह आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों को ठीक से संबोधित नहीं करता, जैसे कि मानवाधिकार शिक्षा और आघात-संवेदनशील प्रथाओं की आवश्यकता।

कस्टोडियल हिंसा को रोकने के लिए सुझाए गए सुधार

1. मानसिक स्वास्थ्य और संवेदनशीलता:

- पुलिस बजट का एक हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों, नियमित काउंसलिंग और अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता कार्यशालाओं पर खर्च किया जाए।

2. कानूनी और संरचनात्मक सुधार:

- एक व्यापक एंटी-कस्टोडियल हिंसा कानून बनाया जाए, जिसमें समयबद्ध जांच, पूछताछ का अनिवार्य वीडियो-रिकॉर्डिंग, और नागरिक समाज की निगरानी शामिल हो।

3. प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हिरासत क्षेत्रों में छेड़छाड़-रोधी सीसीटीवी प्रणाली सुनिश्चित किया जाये

4. पुलिसिंग के लिए एक नया दृष्टिकोण:

- पुलिस को संरक्षक के रूप में बढ़ावा दिया जाए, न कि नियंत्रक, जिसमें सहानुभूति और संयम को प्राथमिकता दी जाए।

5. राज्य की नैतिक जिम्मेदारी:

- प्रत्येक कस्टोडियल मौत राज्य के नैतिक अनुबंध की विफलता है। न्याय को प्रोएक्टिव होना चाहिए, न कि केवल पोस्टह्युमस।

6. विस्तृत महत्व:

- कस्टोडियल मौतें संविधान की अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती हैं और भारत की वैश्विक मानवाधिकार संधियों जैसे ICCPR में स्थिति को कमजोर करती हैं।

आगे का मार्ग:

- **क्षेत्र** - आवश्यक सुधार
- **मानसिक स्वास्थ्य** - अधिकारियों के लिए काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन, और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन।
- प्रशिक्षण मानवाधिकार संवेदनशीलता, नैतिकता, और आघात-संवेदनशील पुलिसिंग।
- कानूनी सुधार एंटी-कस्टोडियल हिंसा कानून, समयबद्ध जांच।
- **प्रौद्योगिकी** - कस्टडी क्षेत्रों में पारदर्शी, टाम्पर-प्रूफ निगरानी।
- **जवाबदेही** - प्रतीकात्मक निलंबन से आगे कार्रवाई का कड़ाई से पालन।
- **समुदाय पुलिसिंग** - सार्वजनिक जुड़ाव और सहानुभूति के माध्यम से विश्वास निर्माण।

सुझाव:

1. D.K. Basu दिशानिर्देश (1997):

- सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल यातना और मौतों को रोकने के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल से वंचित न किया जाए, गिरफ्तारी के कारणों को दस्तावेजित किया जाए, और परिवारों को सूचित किया जाए।
- इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, और पुलिस अधिकारियों को नियमित रूप से इन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

2. पुलिस सुधार:

- सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस (2006) में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसमें पुलिस को अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल हो।

3. पीड़ितों के लिए मुआवजा:

- पीड़ितों के परिवारों के लिए उचित मुआवजा और तेज़ कानूनी प्रक्रिया भविष्य में कस्टोडियल मौतों को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है।

4. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:

- भारत को UN Convention Against Torture (UNCAT) को अनुमोदित करना चाहिए, जिसे उसने हस्ताक्षरित किया है लेकिन अभी तक ratify नहीं किया है, ताकि कस्टोडियल हिंसा को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सके।

निष्कर्ष:

- अजित कुमार जैसी कस्टोडियल मौतें न केवल क्रूरता के अलग-अलग उदाहरणों को दिखाती हैं, बल्कि पुलिसिंग संस्कृति और नीति में विफलता का संकेत भी देती हैं। सच्चे सुधार के लिए प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता है, जो केवल उपकरणों को आधुनिक बनाने या कड़ी कानूनों को लागू करने से कहीं अधिक हो। यह एक मानवतावादी, न्यायपूर्ण और जवाबदेह आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के बारे में है, जहां हर जीवन की रक्षा की जाती है।
- अब न्याय का समय है, और यह नीति के माध्यम से होना चाहिए, ना कि केवल पोस्टह्युमस।

2020 मेन्स के प्रश्न:

- Q1: "पुलिस को जवाबदेह बनाना चाहिए और राजनीति के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। यह न केवल कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि देश के विकास के लिए भी है। समालोचनात्मक रूप से विचार करें।"